

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 7, मंगलवार, शाके 1943-अप्रैल 27, 2021 Vaisakha 7, Tuesday, Saka 1943- April 27, 2021	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

जयपुर, अप्रैल 08, 2021

संख्या एफ-7 (76) रालसा/ संस्था-पी.एल.ए. सदस्य/ 2021 / 196 :- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत राजस्थान सरकार, विधि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के आदेश संख्या पं.8(7) विधि-2/विरसं.(39)/2002पार्ट/102 दिनांक 26.03.2021 द्वारा निम्नलिखित स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएं) के सदस्य हेतु नाम निर्देशन (Nomination) के अनुसार नाम निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति के कार्यग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की कालावधि या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पूर्व हो) के लिए इस संबंध में प्रभावी नियमों के अध्याधीन एतद्वारा नियुक्ति की जाती है:-

क्र.सं.	स्थायी लोक अदालत	नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पदनाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	टोंक	1.डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
		2. राजू लाल गुर्जर	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
2	सवाई माधोपुर	1. हरि लाल बैरवा	सदस्य	अधिवक्ता
		2. डॉ. रामावतार मीणा	सदस्य	सेवा निवृत्त वैज्ञानिक
3	बूंदी	1. महेन्द्र कुमार शर्मा	सदस्य	अधिवक्ता
		2. अनिता जैन	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4	झुंजरपुर	1. राजू खटीक	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
		2. स्वाति पारीक	सदस्य	अधिवक्ता
5	बांसवाड़ा	1. अमजद खान पठान	सदस्य	अधिवक्ता
		2. आकाश पटेल	सदस्य	अधिवक्ता
6	बारां	1. नीलिमा जैन	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
		2. अफाक अहमद खान	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
7	राजसमंद	राम लाल जाट	सदस्य	अधिवक्ता

8	झुंझुनूं	1. बन्टी राम मोसटारा	सदस्य	सेवा निवृत्त प्रिंसीपल
		2. जितेन्द्र कुमार वैष्णव	सदस्य	डीआईईटी
9	जोधपुर जिला	चन्द्रशेखर ओझा	सदस्य	अधिवक्ता
10	करौली	प्रहलाद माली	सदस्य	अधिवक्ता
11	जालोर	पुखराज जीनगर	सदस्य	एक्स-ऑफिसर, सामाजिक कार्यकर्ता
12	जैसलमेर	1. सीमा तंवर	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
		2. गगन खान मेहर	सदस्य	अधिवक्ता

इस आदेश द्वारा नियुक्त स्थायी लोक अदालत के सदस्य को फीस व अन्य सुविधायें The Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and other persons) Rules, 2003 तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश/स्वीकृतियों के अनुरूप देय होंगी। उपरोक्त सारणी में कॉलम संख्या 03 में अंकित व्यक्तियों को इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति समाप्त समझी जावेगी।

आज्ञा से,

सदस्य सचिव,

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।